



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042025-262609
CG-DL-E-22042025-262609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2025/वैशाख 2, 1947

No. 213]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2025/VAISHAKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 252(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 206ग के साथ पठित धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 295, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के प्ररूप सं27 0डथ के उपाबंध के टिप्पण 11 की सारणी में, “मोटर यान पर स्रोत्र पर संग्रहण” से संबंधित पंक्ति के पश्चात्, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा.; अर्थात् :—

“206ग	कलाई घड़ी के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डक
206ग	प्राचीन वस्तु, पेंटिंग, मूर्तिकला जैसी कोई कलाकृति के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डख
206ग	सिक्के, स्टॉप जैसी संग्रहणीय वस्तु के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डग
206ग	नौका, नौकायन करने वाली नाव, डोंगी, हेलीकॉप्टर के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डघ
206ग	धूप के चश्मे के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डङ
206ग	हैंडबैग, पर्स जैसे बैग के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डच

206ग	जूते की जोड़ी के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डछ
206ग	गोल्फ़ किट, स्कीवियर जैसे खेल के पहनावे और उपकरण के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण-	6ग	डज
206ग	होम थिएटर सिस्टम के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डझ
206ग	रेस क्लब में घुड़दौड़ के लिए घोड़े और पोलो के लिए घोड़े के विक्रय पर स्रोत्र पर संग्रहण	6ग	डञ"।

[सं. 35/2025/फा. सं. 370142/11/2025-टीपीएल]

आशीष कुमार अग्रवाल, उप सचिव

टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना सं- का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 221(अ), तारीख 07 अप्रैल, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2025

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 206C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) These rules may be called the Income-tax (Eleventh Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Income-tax Rules, 1962, in Form No. 27EQ, in the Annexure, in the Notes thereto, in Note 11, in the table, after the row relating to "Collection at source on sale of motor vehicle", the following shall be inserted, namely:—

"206C	Collection at source on sale of wrist watch	6C	MA
206C	Collection at source on sale of art piece such as antiques, painting, sculpture	6C	MB
206C	Collection at source on sale of collectibles such as coin, stamp	6C	MC
206C	Collection at source on sale of yacht, rowing boat, canoe, helicopter	6C	MD
206C	Collection at source on sale of pair of sunglasses	6C	ME
206C	Collection at source on sale of bag such as handbag, purse	6C	MF
206C	Collection at source on sale of pair of shoes	6C	MG
206C	Collection at source on sale of sportswear and equipment such as golf kit, ski-wear	6C	MH
206C	Collection at source on sale of home theatre system	6C	MI
206C	Collection at source on sale of horse for horse racing in race clubs and horse for polo	6C	MJ".

[No. 35/2025/F. No. 370142/11/2025-TPL]

ASHISH KUMAR AGRAWAL, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 221 (E), dated the 07th April, 2025.